# Meticulous Investigation & Prosecution

## BAGHPAT POLICE

**“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में हत्या की घटना कारित करने के आरोपी बिल्लू व मोनू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- बिल्लू पुत्र इन्द्रपाल व 2- मोनू पुत्र जोगेन्द्र निवासीगण ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2014 में पुरानी रंजिश में वादी के फूफा दलवीर की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 69/2014 धारा 307/302/452/34/506 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 14.08.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों बिल्लू व मोनू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री राकेश कुमार
प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

रिटायर्ड निरीक्षक राजेंद्र सिंह
विवेचक

श्री अशोक सैनी एडीजीसी

है0का0 रवि कुमार
कोर्ट पैराकार

माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त बिल्लू को मु0अ0सं0 105/2014 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए हुए 02 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

# BAGHPAT POLICE

## थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

**थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा गलती से किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते मे भेजे गये 50,000/- रुपये की सम्पूर्ण धनराशि वापस करायी गयी–**

पीड़ित राजेश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत के द्वारा गलती से किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते मे ऑनलाइन 50,000/- रुपये ट्रांसफर कर दिये थे, जिसके सम्बन्ध मे आवेदक ने NCRP पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसका ACK नं0 23108260158953 है । शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से गलती से ट्रांसफर हुए सम्पूर्ण धनराशि 50,000/- रुपयों को वापस कराया गया ।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

| क्र0सं0 | थाना | प्रा0 पत्र सं0 | वापस करायी गयी धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | थाना खेकड़ा | 23108260158953 | 50,000/- |

# प्रेस नोट

**थाना बडौत** **दिनांक 14.08.2026**

**थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर बरामद ।**

**कार्यवाहीः-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .12 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**महत्वपूर्ण सूचना**---बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

विनेश उर्फ कल्लू पुत्र अजब सिंह निवासी ग्राम बड़ौली थाना बड़ौत जनपद बागपत उम्र 38 बर्ष ।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक अवैध तमंचा .12 बोर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना बड़ौता।
2. का0 463 पवन नागर , थाना बड़ौता।
3. का0 421 अंकुल कुमार थाना बड़ौता।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनाँक 14.08.2026

## थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 234/26 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो अधि0 के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 234/26 धारा 137(2),65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग की अपहृता को दिनांक 13-07-2026 को बरामद किया गया है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुड्डू उर्फ दानिश पुत्र सलीम निवासी मौ0 नई बस्ती कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत उम्र 20 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-उ0नि0 श्री अमित कुमार गोला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत**

**2-है0का0 402 सुमित सिरोही  थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।**